



राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: परीक्षा-द्वितीय/पी.एफ./विधि/2023/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11.08.2023 के द्वारा एलएल.वी. भाग-प्रथम, द्वितीय व तृतीय परीक्षा-2023 की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्वन्ध में छात्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा, जो कि कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित है, के निर्णयानुसार पूर्व परीक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमान्तर्गत/प्रक्रियान्तर्गत सही पाया गया है। अतः मूल परीक्षा परिणाम यथावत है।

sd -  
कुलसचिव

क्रमांक: परीक्षा-द्वितीय/पी.एफ./विधि/2023/ 1208-12 दिनांक: 9-10-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: -

1. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय (प्रातःकालीन/सायंकालीन), रा.वि.वि., जयपुर।
2. निदेशक, विश्वविद्यालय इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
3. उप कुलसचिव, (परीक्षा संचालन/लेखा एवं वित्त), रा.वि.वि., जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक-कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।

12/10/23  
परीक्षा नियंत्रक